



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-07032026-270730
CG-DL-W-07032026-270730

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 7—मार्च 13, 2026 (फाल्गुन 16, 1947)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7—MARCH 13, 2026 (PHALGUNA 16, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	65	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	239	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	243	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	639
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	1539
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	65	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	239	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	243	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	639
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1539
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च 2026

शुद्धिपत्र

सं. 5-प्रेस / 2026—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 05.11.1966 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की 'मेंसन- इन डिस्पैच' से संबंधित दिनांक 27.10.1966 की अधिसूचना संख्या 76-प्रेस / 1966 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं. 366 में

2/लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह (ईसी-57128), 2 महार-- के स्थान पर।

2/लेफ्टिनेंट अमरजीत सिंह (ईसी-57125), 2 महार-- पढ़ा जाए।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 6-प्रेस / 2026—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 11.5.1974 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की 'मेंसन- इन डिस्पैच' से संबंधित दिनांक 26.04.1974 की अधिसूचना संख्या 70-प्रेस/1974 के निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं. 64 में

मेजर रणवीर सिंह सिरोही (आईसी-20484), 5 डोगरा-- के स्थान पर।

मेजर राम वीर सिंह सिरोही, (आईसी-20484), 5 डोगरा-- पढ़ा जाए।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 8-प्रेस / 2026—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में दिनांक 30.12.2000 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की 'वायु सेना मेडल' से संबंधित दिनांक 30.12.2000 की अधिसूचना संख्या 150-प्रेस/2000 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं. 2 में

स्क्वाड्रन लीडर कैलाश गुराव(21573) फ्लाईंग(पायलट)-- के स्थान पर।

स्क्वाड्रन लीडर कैलास कृष्णा गुरव(21573) फ्लाईंग(पायलट) -- पढ़ा जाए।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 9-प्रेस / 2026—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 दिनांक 22.03.2014 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की 'अति विशिष्ट सेवा मेडल' पदक से संबंधित दिनांक 22.03.2014 की अधिसूचना संख्या 10-प्रेस/2014 के हिन्दी संस्करण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं. 43 में

एयर कप्तान सुजीत पुष्पकर धरकर (17841) उड़ान (पायलट) -- के स्थान पर।

एयर कप्तान सुजीत पुष्पाकर धरकर (17841) उड़ान (पायलट) -- पढ़ा जाए।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 10-प्रेस / 2026—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 के दिनांक 01.04.2023 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' पदक से संबंधित दिनांक 01.04.2023 की अधिसूचना संख्या 07-प्रेस/2023 के हिन्दी संस्करण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं. 26 में

एयर मार्शल सुजीत पुष्पकर धरकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, (17841) उड़ान (पायलट) - के स्थान पर।

एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धरकर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, (17841) उड़ान (पायलट) -- पढ़ा जाए।

एस. एम. समी
उप सचिव

सं. 11-प्रेस / 2026—भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 के दिनांक 12.04.2025 को प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की 'अति विशिष्ट सेवा पदक' से संबंधित दिनांक 26.01.2025 की अधिसूचना संख्या 06-प्रेस / 2025 के हिन्दी संस्करण में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:—

क्र.सं. 11 में

आईसी-48530 एम लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनंज प्रताप सिंह, वाईएसएम- के स्थान पर।

आईसी-48530 एम लेफ्टिनेंट जनरल श्रीजय प्रताप सिंह, वाईएसएम-- पढ़ा जाए।

एस. एम. समी
उप सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 23 फरवरी 2026

संकल्प

सं. एस-12012/1/2017-हिंदी—खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के संकल्प संख्या 11018/1/92-हिंदी, दिनांक 31/12/2013 के संकल्प संख्या 1/5/2011-हिंदी, 14 दिसम्बर, 2015 के संकल्प संख्या 1/5/2011-हिंदी तथा 28 दिसम्बर, 2021 एवं 12 मई, 2022 के संकल्प संख्या 12012/1/2017-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार, एतद्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है। इस समिति का गठन, कार्य, कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे :—

I. समिति का गठन:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

II. गैर-सरकारी सदस्य

- (क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य
3. श्री जुगल किशोर, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
4. श्रीमती स्मिता उदय बाघ, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
5. श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
6. श्रीमती सुधा मूर्ती, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य
- (ख) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित सदस्य
7. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य
8. श्री कुलदीप इंदौरा, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

III. अन्य गैर-सरकारी सदस्य

- (क) राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य
9. श्रीमती दमेर्ला वेंकट श्रीविद्या, रमीरेड्डीनगर फर्स्ट लाइन, गुंटुर, आंध्रप्रदेश- 522002 (मो. 6302232522) सदस्य
10. श्रीमती परमेश्वरी शर्मा, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू-180006 (मो. 9419144992) सदस्य
11. श्री अजय साह, सेल सिटी, रांची, झारखंड-834007 (मो. 8830769062) सदस्य
- (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित सदस्य
12. श्री विनय कुमार, मकान नं. 156, ओल्ड एजी कलॉनी, कडरु, रांची, झारखंड. (मो. 9431442742, 9771653345) सदस्य
13. श्री रवि उपाध्याय, मकान नं. 86, 13, श्रीकृष्णा नगर, फुलवारी, पटना, जी.पी. पटना, बिहार-800001. (मो. 9431442400, 7903994100) सदस्य
14. श्री मनोज मलयानिल, फ्लैट नं. ई 506, टॉवर ई, सेक्टर 119 आम्रपाली प्लैटिनम, गौतम बुद्ध नगर, नोयडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301. (मो. 9999002777) सदस्य
15. श्री विनोद बंधु, फ्लैट नं. 322, दूसरा तल (ब्लॉक-3), अर्वा गार्डेन रेसिडेंसी, अर्वा गार्डेन रोड, विपरीत पिलर नं. 4, फ्लाई ओवर, बैली रोड, जगदेओ पथ के समीप, पटना- 800014. (मो. 9771403365, 9431220501) सदस्य
- (ग) केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली
16. श्री विनीत रावत, महामंत्री, सी-3, 99 ए, एमआईजी केशवपुरम, नई दिल्ली-110035 (मो. 7678327718, 9868164008,) सदस्य
- (घ) हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद
17. प्रो. चंद्रदेव कवडे, 10 विवेकानंद हाऊसिंग सोसाइटी तिलकनगर, पो.जि. छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र)- 431005 (मो. 9890302350) सदस्य

IV. सरकारी सदस्य

- (क) राजभाषा विभाग
18. सचिव, राजभाषा विभाग एवं भारत सरकार के हिंदी सलाहकार सदस्य
19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य
- (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सदस्य
21. विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सदस्य
22. संयुक्त सचिव (पीपीएस), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (राजभाषा प्रभारी) सदस्य सचिव

23.	संयुक्त सचिव (आरएस), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
24.	संयुक्त सचिव (डीपी), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
25.	संयुक्त सचिव (डीडी), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
26.	आर्थिक सलाहकार (सीजी), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
27.	डीडीजी (वीके), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	सदस्य
(ग)	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के स्वायत्तशासी संस्थानों के प्रतिनिधि	
28.	निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुंडली, सोनीपत, हरियाणा	सदस्य
29.	निदेशक, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), तंजावूर, तमिलनाडु	सदस्य

2. समिति के कार्य:—

इस समिति का कार्य राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी शिक्षण संस्थानों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों पर आवश्यक सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल:—

समिति का कार्यकाल सामान्यतः इसके पुनर्गठन की तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन तीन वर्ष तक होगा, बशर्ते कि:—

- (क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्याग पत्र, मृत्यु आदि के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिंदी समिति की दिनांक 06.09.2018 को हुई 31वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14013/01/2019 – रा.भा.(नीति) के अनुसार हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिल्ली क्षेत्र में किया जाना अपेक्षित है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रीत पाल सिंह
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2026

सं. 10-9/2024-यू.3(ए)—जबकि, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु ने यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार वेलन नगर, पेरियापालयम रोड, मंजनकरनई गांव, उथुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था।

2. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 13.08.2025 के अपने पत्र संख्या 40-8/2025 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि उसकी स्थायी समिति के माध्यम से आवेदन की जांच की गई थी। समिति ने संस्थान की प्रस्तुति के बाद और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु को कुछ शर्तों के साथ आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की।

3. और इसके अतिरिक्त जबकि, मंत्रालय ने यूजीसी की सलाह पर वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु को वेलन नगर, पेरियापालयम रोड, मंजनकरनई गांव, उथुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में ऑफ-कैंपस शुरू करने से पहले 3 वर्ष की अवधि के भीतर कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए दिनांक 09.09.2025 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया।

4. और जबकि, रजिस्ट्रार, वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु, दिनांक 15.09.2025 के पत्र संख्या वीआईएसटीएस/आर/एमओई/085/2025 के माध्यम से एलओआई की शर्तों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे सत्यापन और आगे की सलाह के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया गया था। प्रत्युत्तर में, यूजीसी ने दिनांक 27.01.2026 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अनुपालन रिपोर्ट को स्थायी समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस मामले में अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

5. अतः अब, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर, एतद्वारा वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु को वेलन नगर, पेरियापालयम रोड, मंजनकरनई गांव, उथुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिला तमिलनाडु में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करता है, जोकि इस शर्त के अधीन होगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों/निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किए जाएंगे।

6. वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज (वीआईएसटीएस) (सम विश्वविद्यालय), तमिलनाडु इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना (अधिसूचनाओं) में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक परिषदों के नियमों/विनियमों का अनुपालन करेगा।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd March, 2026

CORRIGENDA

No. 5-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 76-Pres/1966 dated 27.10.1966 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 05.11.1966 relating to “Mention-in-Despatch”:—

At Serial No. 366

FOR : 2/Lt Amarjit Singh (EC-57120), 2 MAHAR

READ : 2/Lt Amarjit Singh (EC-57125), 2 MAHAR

S M SAMI
Deputy Secretary

No. 6-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 70-Pres/74 dated 26.04.1974 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 11.05.1974 relating to “Mention-in-Despatch”:—

At Serial No. 64

FOR : Maj Ranbir Singh Sirohi (IC-20484), 5 DOGRA

READ : Maj Ram Bir Singh Sirohi (IC-20484), 5 DOGRA

S M SAMI
Deputy Secretary

No. 7-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 15-Pres/70 dated 26.01.1970 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 25.04.1970 relating to “Sena Medal”:—

At Serial No. 2

FOR : Major Dinesh Narayan (IC-18790), JAT

READ : Major Dinesh Narayan (IC-18970), JAT

S M SAMI
Deputy Secretary

No. 8-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 150-Pres/2000 dated 30.12.2000 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 30.12.2000 relating to “Vayu Sena Medal”:—

At Serial No. 2

FOR : Squadron Leader Kailash Gurao (21573) Flying (Pilot)

READ : Squadron Leader Kailas Krishna Gurao (21573) Flying (Pilot)

S M SAMI
Deputy Secretary

No. 12-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 06-Pres/2025 dated 26.01.2025 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 12.04.2025 relating to “Ati Vishisht Seva Medal”:—

At Serial No. 16

For : MR-05977W LIEUTENANT GENERAL SADHANA S NAIR, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS

Read : MR-05977W LIEUTENANT GENERAL SADHANA S NAIR, VSM, THE ARMY MEDICAL CORPS

S M SAMI
Deputy Secretary

No. 13-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 18-Pres/2025 dated 26.01.2025 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 12.04.2025 relating to “Mention-in-Despatch” respectively:—

At Serial No. 56

For : SQUADRON LEADER LOVERPREET SINGH (35208) FLYING (PILOT)

Read : SQUADRON LEADER LOVEPREET SINGH (35208) FLYING (PILOT)

At Serial No. 58

For : SERGEANT SAURABH SINGH (915136) FLIGHT GUNNER

Read : JUNIOR WARRANT OFFICER SAURABH SINGH (915136) FLIGHT GUNNER

S M SAMI
Deputy Secretary

No. 14-pres/2026—The following amendments are to be made in this Secretariat Notification No. 04-Pres/2025 dated 26.01.2025 published in Part-I Section-1 of the Gazette of India dated 12.04.2025 relating to “Param Vishisht Seva Medal”:—

At Serial No. 30

FOR : 18300 AIR MARSHAL SAJU BALAKRISHAN, AVSM, VM, FLYING (PILOT)

READ : 18300 AIR MARSHAL SAJU BALAKRISHNAN, AVSM, VM, FLYING (PILOT)

S M SAMI
Deputy Secretary

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 23rd February 2026

RESOLUTION

No. S-12012/1/2017-Hindi—In Suppression of Ministry of Food Processing Industries’ Resolution No. 11018/1/92-Hindi Dated 29th October, 2003, Resolution No. 1/5/2011-Hindi Dated 31/12/2013, Resolution No. 1/5/2011 dated 14 December 2015 and Resolution No. S 12012/1/2017 dated 28 December, 2021 and 12 May, 2022 the Govt. of India, hereby reconstitutes The Hindi Advisory Committee in the Ministry of Food Processing Industries. The composition of the Committee, its functions and tenure etc. will be as under:—

I. Composition of the Committee		
1.	Hon’ble Minister of Food Processing Industries	Chairperson
2.	Hon’ble Minister of State Food Processing Industries	Vice Chairperson
II. Non-Official Members		
(A)	Members nominated by Ministry of Parliamentary Affairs	
3.	Shri. Jugal Kishore, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
4.	Smt. Smita Uday wagh, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
5.	Shri Babubhai Jesangbhai Desai, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
6.	Smt. Sudha Murty, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
(B)	Members nominated by Parliamentary Committee on Official Language	
7.	Shri Tangella Uday Srinivas, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
8.	Shri Kuldeep Indora, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
III. Other Non-Official Members		
(A)	Members Nominated by Department of Official Language	
9.	Smt. Damerla Venkat Srividya, Ramireddynagar 1st Line, Guntur, Andhra Pradesh-522002	Member
10.	Smt. Parmeshwari Sharma, Post Graduate Hindi Department, Jammu University-180006	Member
11.	Shri Ajay Shah, Sail city, Ranchi, Jharkhand-834007	Member
(B)	Members nominated by Ministry of Food Processing Industries	
12.	Binay Kumar, House No. 156, Old A.G Colony, Kadru, Ranchi, Jharkhand. (M. 9431442742, 9771653345)	Member
13.	Ravi Upadhyaya, House No. 86, 13, Shri Krishna Nagar, Phulwari, Patna, G.P.Patna, Bihar-800001. (M. 9431442400, 7903994100)	Member

14.	Manoj Malayanil, Flat No. E 506, Tower E, Sector 119 Amrapali Platinum, Gautam Buddh Nagar, Noida, Gautam Buddh Nagar, Uttar Pradesh- 201301. (M. 9999002777)	Member
15.	Binod Bandhu, Flat No. 322, 2nd Floor (Block-3), Arrah Garden Recedences, Arrah Garden Road, Opposite Pillar No. 4, Fly Over, Balliey Road, Near Jagdeo Path, Patna- 800014. (M. 9771403365, 9431220501)	Member
(C)	Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi	
16.	Shri Vineet Rawat, Mahamantri, C-3, 99A, MIG. Keshav Puram, New Delhi-110035 (Mob. 7678327718, 9868164008)	Member
(D)	Hindi Prachar Sabha Hyderabad	
17.	Pro. Chandradev Kawade, 10 Vivekanand Housing Society Tilaknagar, Po. G. Chatrapati Sambhajinagar (Maharashtra) 431005. (M. 9890302350)	Member
IV.	Official Members	
(A)	Department of Official Language	
18.	Secretary, Deptt. of Official Language and Hindi Advisor to the Govt. of India	Member
19.	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
(B)	Ministry of Food Processing Industries	
20.	Secretary, Ministry of Food Processing Industries.	Member
21.	Special Secretary & FA (Shri Asit Gopal), MOFPI	Member
22.	Joint Secretary (PPS), MOFPI, (i/c Rajbhasha)	Member Secretary
23.	Joint Secretary (RS), MOFPI,	Member
24.	Joint Secretary (DP), MOFPI,	Member
25.	Joint Secretary (DD), MOFPI,	Member
26.	Economic Advisor (CG), MOFPI	Member
27.	DDG (VK), MOFPI.	Member
(C)	Representatives of Autonomous Institutes of MoFPI	
28.	Director, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Kundili, Sonipat Haryana.	Member
29.	Director, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Thanjavur, Tamil Nadu.	Member

2. Functions of the Committee

The function of the Committee will be to advise on matters relating to progressive use of Hindi in the Ministry of Food Processing Industries and all Autonomous Academic Institutions under its administrative control in accordance with policies laid down by the Department of Official Language.

3. Tenure

The term of the Committee will be for three years from the date of its reconstitution.

provided that :—

- A Member of Parliament who is a member of this Committee shall cease to be a Member of the Committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
- Ex-officio members of the Committee shall continue as member as long as they hold office by virtue of which they are members of the committee.
- If a vacancy arises in the Committee due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term only.

4. General

The headquarters of the Committee shall be in New Delhi. In pursuance of decision taken during 31st meeting of Kendriya Hindi Samiti constituted under the chairmanship of Honorable Prime Minister, held on 06.09.2018 and according to O.M. No. 14013/01/2019 dated 21.01.2019 of Department of Official Language, MHA, meeting of Hindi Advisory Committee should be held in Delhi.

5. Traveling and other allowances

The non-official members of the Committee shall be paid traveling and daily allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines contained in O.M.No. II/20034/4/86-OL (A-2) dated 22 January, 1987 of Department of Official Languages and in accordance with the prescribed rates and rules of the Government of India as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all members of the Committee, Prime Minister's office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Ayog, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Election Commission of India, Union Public Service Commission, and all Ministries/Departments of the Government of India.

It is also ordered that the resolution be Published in the Gazette of India for general public information.

PREET PAL SINGH
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th February 2026

No. 10-9/2024-U.3(A)—Whereas, Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu submitted an online application on UGC Portal to start an off-campus Centre at Velan Nagar, Periyapalayam Road, Manjankaranai Village, Uthukkottai, Thiruvallur District, Tamil Nadu as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023.

2. And whereas, UGC, vide its letter No.40-8/2025 (CPP-I/DU) dated 13.08.2025, informed that the application was examined through its Standing Committee. The Committee, after presentation of the Institution and based on the documents submitted, recommended for issuance of Letter of Intent (LoI) to Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu with certain conditions.

3. And further whereas, the Ministry, on the advice of UGC, issued Letter of Intent (LoI) dated 09.09.2025 to Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu for fulfilment of certain conditions within a period of 3 years before starting an off-campus at Velan Nagar, Periyapalayam Road, Manjankaranai Village, Uthukkottai, Thiruvallur District, Tamil Nadu.

4. And whereas, the Registrar, Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu, vide letter No. VISTAS/R/MoE/085/2025 dated 15.09.2025, submitted compliance report in respect of fulfilment of the conditions of the LoI. The same was forwarded to UGC for verification and further advice. In response, UGC, vide letter dated 27.01.2026, informed that the compliance report was accepted by the Standing Committee and recommended for final approval in the matter.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby accords approval to Vels Institute of Science, Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu to start an off-campus Centre at Velan Nagar, Periyapalayam Road, Manjankaranai Village, Uthukkottai, Thiruvallur District, Tamil Nadu subject to the condition that admissions under professional courses shall be made only after obtaining approval from the respective Regulatory Councils/Bodies.

6. All other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by Vels Institute of Science Technology and Advanced Studies (VISTAS) (Deemed to be University), Tamil Nadu.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

New Delhi-110001, the 3rd March 2026

CORRIGENDUM

No. E-11013/2/2024-Hindi—Please refer to Resolution No. E-11013/2/2024-Hindi, dated 01.01.2026 published in the Gazette of India, Part-I, Section-1 (Weekly) regarding reconstitution of Hindi Salahkar Samiti in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, wherein following corrections have been made:—

- i. On page No. 16 at Serial No. 03, word 'Special Secretary' shall be replaced with word 'Special Secretary/Additional Secretary'.

- ii. On page No. 16 at serial No. 04, word 'Addl. Secretary & Economic Advisor' shall be replaced with word 'Additional Secretary & Financial Advisor'.

The other contents of the resolution will remain unchanged.

SANGEETA TOPNO
Deputy Director (O.L.)